



स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ 1008(8)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/133

दिनांक : 11/02/16

कार्यालय आदेश

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण में आवश्यक मध्यावधि संशोधन (Mid Course Correction) के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
5.	शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
6.	शासन सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
7.	सी.ई.ओ. स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: एफ 1008(8)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/133

दिनांक : 11/02/16

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
6. शासन सचिव, श्रम विभाग
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
9. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
10. विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
11. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
12. सेन्ट्रल सर्वर रूम - ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी